न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/156
दायरा तिथि : 16.08.2023
आदेश तिथि : 21-01-2025
प्रार्थीगण :–

1. श्री नथाराम पुत्र जोधाजी जाति सीरवी
2. उगराम पुत्र समारामजी उर्फ चमनारामजी
3. डोवाराम पुत्र समारामजी उर्फ चमनारामजी जातिगण सिरवी निवासीगण बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. इन्दाराम पुत्र केसारामजी
2. कमला पुत्री केसारामजी
3. गीता पुत्री केसारामजी
4. मन्जु उर्फ संजु पुत्री केसारामजी
5. मोवनी पुत्री केसारामजी
6. लेहरकी पुत्री केसारामजी
7. सुखी पुत्री केसारामजी
8. पोनी पुत्री केसीबाई पत्नि ओटारामजी
9. वगताराम पुत्र ओटारामजी
10. सकाराम उर्फ हकाराम पुत्र ओटारामजी
11. स्व0 कानाराम पुत्र ओटारामजी के वारिसान–
    11/1 लक्ष्मण कुमार पुत्र कानाराम
    11/2 कीकी देवी पुत्री कानाराम
    11/3 देवी पुत्री कानाराम
    11/4 गजरो पत्नि कानाराम
12. समाराम उर्फ खुमाराम पुत्र ओटारमजी
13. गमनाराम पुत्र वगतारामजी
14. मानाराम पुत्र वगतारामजी
15. मोतीराम पुत्र वगतारामजी
16. हराराम पुत्र वगतारामजी
17. कानाराम पुत्र वगतारामजी
18. सकाराम पुत्र जसारामजी
19. सुजाराम पुत्र जसारामजी
20. धापु पुत्री जसारामजी
21. जसकीबाई पत्नि जसारामजी
22. पकाराम पुत्र भेरारामजी
23. रूपाराम पुत्र भेरारामजी
24. वेलाराम पुत्र भेरारामजी
25. जीवाराम पुत्र लालारामजी
26. मगाराम पुत्र लालारामजी
27. चेनाराम दत्तक पुत्र लुम्बारामजी तमाम जातिगण सीरवी निवासीगण बाली तह0 बाली
28. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) प्रतिनिधि तहसीलदार, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

3

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड़ अधिकारी,बाली

आदेश दिनांक: 21-01-2025

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2837 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2838 रकबा 0.0700 हैक्टर व खसरा नंबर 2839 रकबा 2.1700 हैक्टर

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2832 रकबा 0.85 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली व भू.अ.निरीक्षक, बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2024/859 दिनांक 28.06.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक (खातेदार) की धारित भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। मौके पर खसरा नंबर 2832 में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित मार्ग वर्तमान में सुचारू है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 2836 गै.मु.रास्ते से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक न्यूनतम दूरी पर स्थित है।
3. यह है कि ग्राम बाली में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2832	0.85 हैक्टर	चा. दो. जा. दो.	40x4=160 वर्गमीटर	ईदाराम दत्तक पुत्र केसाराम हि. 1/40 जाति सिरवी सा देह खातेदार वगैरा संलग्न जमाबंदी अनुसार

नोटः– उक्त सारणी अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर वर्तमान में सुचारू है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग करते है।

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 12,58,670 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने के पश्चात समस्त अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2837 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2838 रकबा 0.0700 हैक्टर व खसरा नंबर 2839 रकबा 2.1700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली ने जांच कर क्रमांक/राजस्व/2024/859 दिनांक 28.06.2024 से आवेदित रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट पेश की है। अतः तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2837 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 2838 रकबा 0.0700 हैक्टर व खसरा नंबर 2839 रकबा 2.1700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली पटवार हल्का बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 2832 रकबा 0.85 हैक्टर में से **160 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **भू.अ.निरीक्षक, वृत्त बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/156
अनवान नथाराम वगैरा बनाम ईदाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 12,58,670 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2832	0.85 हैक्टर	40X4=160 वर्गमीटर	126	20160X2=40320	ईदाराम दत्तक पुत्र केसाराम हि. 1/40 जाति सिरवी सा देह खातेदार वगैरा संलग्न जमाबंदी अुनसार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 40320/– (अक्षरे चालिस हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नही लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। निरीक्षक भू–अभि. बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नियम से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
21-01-25

क्रमॉक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री नथाराम पुत्र जोधाजी जाति सीरवी निवासी बेरा रेलीवाला बाली जिला पाली राज. वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

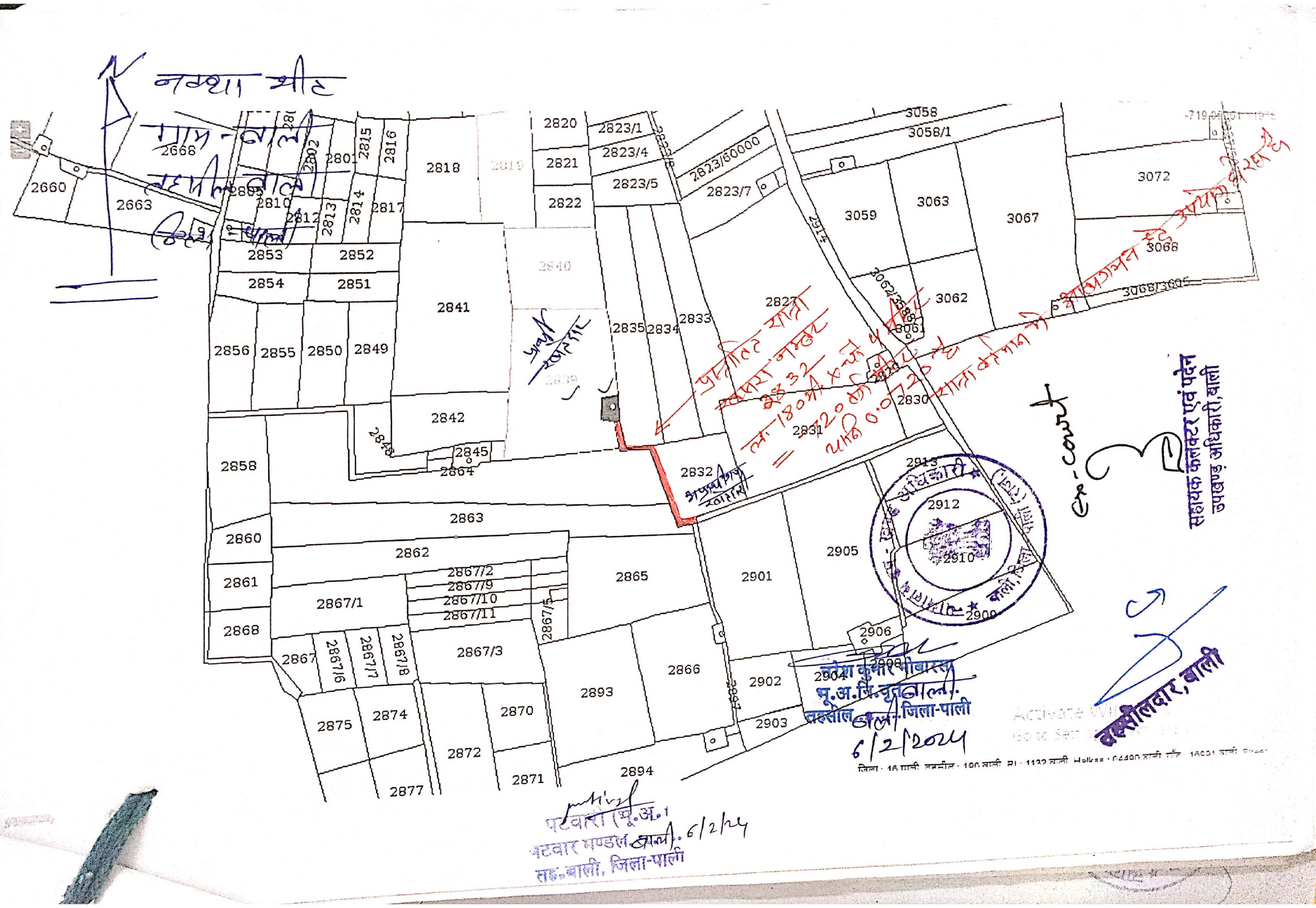

Scanned with CamScanner